(ख) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति भी काफी गंभीर है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एच० ई० सी० बेशी जनशक्ति और घटिया कार्य संस्कृति; उच्च ऊपरी खर्चों और अधिक ब्याज भार; कार्यशील पूंजी की कमी तथा असंतुलित क्रयादेश स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारणों से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है।

(ख) भेल को उपभोक्ताओं से अधिक बकाया राशियों के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता

1704. **श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता बहुत ज्यादा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्य सरकारों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को क्या-क्या साधन उपलब्ध कराए गए हैं, और

(घ) क्या पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के अभाव के कारण यह रूग्णता अपेक्षाकृत अधिक है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1991 के अन्त में मध्य प्रदेश राज्य में लघु क्षेत्र में 17146 औद्योगिक एकक और गैर-लघु क्षेत्र में 49 औद्योगिक एकक रुग्ण थे।

(ख) बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार औद्योगिक रुग्णता के मुख्य कारण विपणन, तकनीक, श्रम और उत्पादन समस्याओं, प्रबंध की कमियों, बिजली की कमी, मांग की कमी और प्राकृतिक विपत्तियों से संबंधित हैं।

(ग) 1981 (फरवरी, 1982 में संशोधित) में केन्द्र सरकार द्वारा जारी रुग्ण उद्योगों के लिए नीति संबंधी दिशा निर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये हैं :—

(1) केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक एककों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

(2) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि रुग्णता को प्रारम्भिक अवस्था में रोकने हेतु समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

(3) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को अलग अलग रुग्ण एककों के निदान अध्ययन के आधार पर सम्भावित जीव्यक्षम मामलों में पुनरुज्जीवन योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अलावा, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन एक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई है ताकि रुग्ण और सम्भावित रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाया जा सके और निरोधात्मक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपायों का शीघ्रता से निर्धारण किया जा सके।

जहां तक गैर-लघु क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों का संबंध है, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार कोई वित्तीय सहायता नहीं देती। सीमांत धनराशि योजना के अधीन, केन्द्र सरकार लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य सरकारों को धनराशि देती है। 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार सीमांत धनराशि योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कुल 5 लाख रु० की राशि मंजूर की गई थी।

(घ) ऐसे आंकड़े केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते।

गुजरात में बंद पड़े उद्योग

1705. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में इस समय बंद पड़े बड़े, मझोले और लघु उद्योगों का उनकी अवस्थिति सहित ब्यौरा क्या है,

(ख) उक्त उद्योगों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात राज्य में मार्च 1991 के अंत तक गैर-लघु क्षेत्र में 112 रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एककों के बन्द होने की सूचना थी। जिनमें 296.30 करोड़ रुपए के बैंक ऋण अन्तर्गस्त हैं।

बैंकों में प्रचलित प्रथा तथा व्यवहार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाले कानूनों के अनुसार अलग-अलग ब्यौरे जैसे बैंकों के संघटक एककों के स्थापना स्थल आदि, प्रकट नहीं किए जाते।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 1991 के अन्त तक गुजरात राज्य के 39 बन्द रुग्ण/कमजोर गैर-लघु उद्योग एकक औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को भेजे गए थे। इनमें से बी० आई० एफ० आर० द्वारा तीन मामलों के लिए पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की गई और 18 मामलों को समाप्त करने की सिफारिश की गई।

श्रम साध्य प्रौद्योगिकियां

1706. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार श्रम साध्य प्रौद्योगिकियों की उपेक्षा करती रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो बेरोजगारों को यथाशीघ्र रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम साध्य प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सरकार ने लघु उद्योगों, खादी तथा ग्रामोद्योगों, जो श्रमिक गहन हैं, के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा अन्य विभिन्न संगठन, जिनमें सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाएं शामिल हैं, विद्यमान श्रमिक गहन तकनीकों का स्तर बढ़ाने तथा उनमें सुधार करने के कार्य में लगे हैं।